<u>आदेश</u>

प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया है। जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि अभियुक्त द्वारा अदा कर दिया है।

तदनुसार पत्रावली दाखिल दफतर हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
क.सं.2 इलाहाबाद।